font>

Title: Need to provide 27 per cent reservation to OBCs for admission in educational institutions and jobs in public sector undertakings.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान केन्द्र सरकार से संबंधित कई मंत्रालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) को 27 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा सैनिक विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक तेल कंपनियों में भी पिछड़े वर्गों को डीलरशिप में 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र द्वारा संचालित सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा सैनिक विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश में 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण दिया जाए तथा सार्वजनिक उद्यमों, तेल कंपनियों में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण नौकरियों व डीलरशिप आदि सभी क्षेत्रों में दिया जाए। जिन मंत्रालयों / विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण का कोटा ओ.बी.सी. का पूरा नहीं है उन विभागों में विशेा भर्ती अभियान चला कर 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. का कोटा पूरा किया जाए।

अनुसूचित जाति एवम् जनजाति की तरह ओ.बी.सी. के लिए भी संसद की स्थाई समिति बनाई जाए।